न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।
उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)
****
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1800/2026

UPST010054312026

1. पवन कुमार मिश्र पुत्र बजरंगबली मिश्र
2. गोली उर्फ प्रदीप कुमार मिश्र पुत्र रामअवध मिश्र

निवासीगण ग्राम बभनगवां, थाना कुडवार, जनपद सुलतानपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0 297/2016,
अन्तर्गत धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता,
एवं 3(1)(10) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना कुडवार, जनपद सुलतानपुर।

दिनांक 15.06.2026

1- प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पवन कुमार मिश्र एवं गोली उर्फ प्रदीप कुमार मिश्र के द्वारा मुकदमा अपराध सं0 297/2016, अन्तर्गत धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3(1)(10) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कुडवार, जनपद सुलतानपुर में जमानत प्राप्त करने हेतु दिया गया है। प्रार्थना पत्र, शपथपथ से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 17.09.2016 को लगभग 10:00 बजे वादी मुकदमा रामसेवक के गाँव के पवन पुत्र बजरंग मिश्र एवं गोली पुत्र ओझा के बीच आपसी कहासुनी हुई थी। उक्त घटना के कारण सूर्यपाल प्रधान की मार्केट पर विपक्षीगणों ने वादी मुकदमा को भद्दी-भद्दी एवं जातिसूचक गालियाँ देते हुए डण्डा, लात एवं मुक्कों से मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं। वादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी को कथित मुकदमें में बिल्कुल निर्दोष है, महज हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त अभियोग की प्राथमिकी व गवाहों के 161 जा0फौ0 के बयान आपस में विरोधाभाषी है, जिससे अभियोजन कथानक सन्देहास्पद प्रतीत होता है। प्रार्थी का कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। इन्हीं कथनों आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. वादी मुकदमा की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विधिक वारिसान को नोटिस का तामिला प्राप्त है बहस के दौरान वादी मुकदमा के विधिक वारिसान उपस्थित नहीं आए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) की ओर

से जमानत का विरोध किया गया और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष (फौजदारी) लोक अभियोजक के तर्कों को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त, अन्य अभियुक्त के साथ नामित है। अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मार–पीट कर चोटें पहुंचाने व जान–माल की धमकी दिए जाने का अभियोग है। चोटहिल की आघात आख्या पत्रावली में दाखिल हैं चिकित्सक की राय में चोट संख्या 3 को छोड़कर अन्य सभी चोट साधारण प्रकृति की है। चोट सं0 3 को एक्स–रे हेतु संदर्भित किया गया है। एक्स–रे रिपोर्ट के अनुसार चोटहिल को कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई भी पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर हैं। उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। प्रकरण में विवेचना समाप्त हो चुकी है, आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है तथा मुकदमें का विचारण चल रहा है। गवाहों को डराये/धमकाये जाने की कोई युक्तियुक्त संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में वाद के गुण–दोष पर पर अन्य कोई टिप्पणी किए बगैर, अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पवन कुमार मिश्र एवं गोली उर्फ प्रदीप कुमार मिश्र द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा मु0 30,000/–रू की एक प्रतिभू तथा समान धनराशि के निजी बंधपत्र न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. प्रार्थी/अभियुक्त अध्याय 33 दण्ड प्रक्रिया संहिता/35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेंगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त उस मामलें के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों चको प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

ह0
(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट,
सुलतानपुर।
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)

दिनांक 15.06.2026
(स्टेनो सुधीर सिंह)